न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—481/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00481)

1. गंगाराम पुत्र देवी जाति कहार निवासी धून्धरी तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति चमार
2. सरजु बेवा रामचन्द्र जाति चमार (फौत)
   2/1 गोपाल पुत्र रामचन्द्र जाति चमार निवासी ग्राम धूंधरी तहसील केकडी जिला अजमेर।
   2/2 छोटी पुत्री रामचन्द्र पत्नि श्योजी निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक।
   2/3 नाथी पुत्री रामचन्द्र पत्नि गंगाराम निवासी ग्राम रसूलपुरा तहसील सांवर जिला अजमेर।
3. हजारी पुत्र नन्दा जाति चमार
4. देवी पुत्र नन्दा जाति चमार
   सभी जाति चमार सभी निवासी धून्धरी तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान।
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 104/2008

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीत सिंह, दिनेश कुमार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 से 2/3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—25.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 104/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दावे का नोटिस विपक्षीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पर तामील होने पर प्रतिवादीगण जवाब प्रस्तुत कर दावे के कथनों से इंकार किया। तत्पश्चात दावे में तनकीयात कायम की गई किंतु दावे में पूर्ण साक्ष्य लिए बिना ही उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने वादी की अनुपस्थिति में पत्रावली को कैम्प धून्धरी में नियत कर वादी अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बिना वादी का वाद किसी भी तनकी पर निर्णित न कर, निरस्त करने की आज्ञा दिनांक 27.6.2016 को पारित कर दी। जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर अपीलांट वादी ने दिनांक 5.9.2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 104/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 से 2/3 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी के वाद को बिना किसी सूचना के ग्राम धून्धरी केम्प में नियत कर अपीलांट वादी की अनुपस्थिति में दिनांक 27.6.2016 को निरस्त कर दिया जिसकी अपीलांट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8.11.2016 को जब हुई जबकि अपीलांट प्रार्थी अभिभाषक से अपने केस की जानकारी लेने हेतु गांव से केकडी आया तब अपीलांट के अभिभाषक ने अपने कार्यालय का रिकार्ड देखकर अपीलांट को उसका वाद निरस्त होने की सूचना दी व निर्णय की नकल दी जो उन्होंने पूर्व से ही ले रखी थी व नकल देकर प्रार्थी को कहा कि तुम अजमेर जाकर इसकी अपील करो जब प्रार्थी दिनांक 9.11.2016 को अजमेर आए व तुरंत अपील तैयार करवाकर आज तारीख जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराशय नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में कायम किसी भी तनकी का कोई निर्णय किए बिना वादी का वाद निरस्त किया है। जबकि आर्डर 14 रूल 2 के तहत न्यायालय को साक्ष्य की विवेचना कर सभी तनकी का निर्णय करना आवश्यक था। परीक्षण न्यायालय ने वादी अपीलांट को नोटिस दिए बिना पत्रावली को केम्प धून्धरी पर नियत कर अपीलांट वादी की अनुपस्थिति में केवल प्रतिवादी देवीलाल के द्वारा कथित कथनों के आधार पर ही वादी का वाद निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की कोई विवेचना अपने निर्णय में नहीं की है जबकि पूर्व राजस्व रिकार्ड में वादी अकेला आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार है। सेटलमेंट विभाग ने गलत तौर पर वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 का नाम दर्ज कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वाद काबिल डिक्री था। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा में वादी का वाद निरस्त करने में भूल की है। जबकि वादी की अनुपस्थिति दावे का निर्णय किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की कोई विवेचना अपने निर्णय में न कर वादी अपीलांट का वाद केम्प कोर्ट में निरस्त किया गया। प्रतिवादी बालू का देहांत दौराने दावा बिला वारिस होने के कारण उसका नाम रिकार्ड से हजब कर दिया गया है। वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गए है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत कोई विवेचना अपने निर्णय में न कर वादी अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे में कोई डिक्री मुर्तिब नहीं की है। अतः दावे के निर्णय के ऑपरेटिव पार्ट को ही डिक्री माना जावे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 104/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आधारहीन है प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 हिस्सा है तथा प्रतिवादी 3 व 4 अपने 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है वादी की नियत बद हो गई है। वह प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहते

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

है। प्रतिवादी 5 सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा वाद वर्णित आराजीयात के खातेदार दर्ज है बिना प्रतिवादीगण के स्थानान्तरण करवाए भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में आरआरडी 1996 पेज 79, आरआरडी 1996 पेज 381, आरआरडी 1999 पेज 183, 2011(2)आरआरटी पेज 721.

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 को पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील के माध्यम से कथन किया कि वादी अकेला आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत तौर पर वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। वादी का उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त है व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में कथन कहे गए कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का उक्त आराजीयात में 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। अतः वादी द्वारा कब्जे काश्त के आधार पर घोषणा चाही गई है जो न्यायसंगत नहीं है अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2061 व 2064 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट प्रतीत होते है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हजारी व देवी पिसरान नन्दा कौम चमार उक्त आराजीयात के 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार/काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–2072 के अनुसार भी खसरा नम्बर 2104, 2106, 2107, 2110 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 है0 के गंगाराम वल्द देवी हिस्सा 1/4 लाला दुर्गालाल पि0 सुगमा हिस्सा 1/4 कौम कहार गोपाल बसरबराही मां सरजू वेवा रामचन्द्र, हजारी व देवी पि0 नन्दा हिस्सा 1/2 कौमा बैरवा साकिन देह खातेदार के रूप में दर्ज है। इस बाबत तहसीलदार केकडी द्वारा भी जवाब प्रस्तुत किया गया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा वाद वर्णित आराजीयात के खातेदार दर्ज है बिना प्रतिवादीगण के स्थानान्तरण करवाए भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। चूंकि वादी द्वारा मात्र कब्जे काश्त के आधार पर घोषणा चाही गई है। अतः वादी द्वारा अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त संपूर्ण आराजीयात अकेले वादी के नाम दर्ज है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का उक्त आराजीयात में हक हिस्सा निहित है। वादी द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत पाए गए अतः उनको वह अपनी अपील के माध्यम से साबित कर पाने में पूर्णतः विफल रहे है। प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथनों को उनके द्वारा बखूबी साबित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

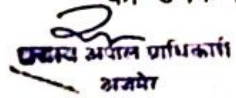

Scanned with CamScanner

कहे गए कथन सत्य व संतोषजनक प्रतीत नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की तकनीकि या विधिक त्रुटि नहीं पाए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त आदेश को यथावत रखा जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 104/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner